(लोक सभा द्‌वारा 10.12.2019 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 371-सी

[दि कांस्टीट्‌यूशन (वन हंड्रेड एंड ट्‌वैंटी सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद्‌ द्‌वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 25 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगा ।

अनुच्छेद 334 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना";

(ख) खंड (क) और खंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

MGIPMRND—4271LS(CRC)—10-12-2019.